अपीलीय अधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अवमानना
अपील / रेफरेंस / विविध प्रार्थना पत्र संख्या 18/2024 (CIS NO. 18/2024.....)

गोपाल बंसल बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अवमानना याचिका सं0 18 / 2024

गोपाल बंसल बनाम जविप्रा व अन्य

दिनांक 04.06.2026

अधिवक्ता अवमानना प्रस्तुतकर्ता श्री गोविन्द प्रसाद गोयल उपस्थित। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा उपस्थित। अप्रार्थी सं0 2 की ओर से अधिवक्ता श्री ए0 के0 वशिष्ठ उपस्थित। अप्रार्थी सं0 3 व 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता की ओर से हस्तगत अवमानना याचिका इस अधिकरण द्वारा पारित रेफरंस सं0 431 / 2023 शीर्षक गोपाल बंसल बनाम जविप्रा आदेश दिनांक 16.10.2023 से संबंधित प्रकरण में पारित स्थगन आदेश की पालना न किये जाने को लेकर प्रस्तुत हुई है। इस अधिकरण द्वारा दिनांक 16.10.2023 को निम्नप्रकार आदेश पारित किया था कि :–

> " उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितयों को देखते हुए आगामी तिथि तक जविप्रा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वादग्रस्त भूखण्ड सं0 ए–57 में कोई तोडफोड अथवा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नहीं करे। प्रार्थी सडक की भूमि पर अतिक्रमण नहीं करे। प्रार्थी का सडक की भूमि पर अतिक्रमण पाया जाने पर जविप्रा नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है।"

जविप्रा की ओर से हस्तगत अवमानना याचिका का जवाब पेश कर कथन किया कि वास्तविकता यह है कि दिनांक 06.03.2024 व 10.03.2024 को जविप्रा द्वारा वादग्रस्त बताये गये भूखण्ड सं0 ए–57 पर किसी प्रकार की कोई तोडफोड नहीं की गई तथा प्रार्थी द्वारा स्वयं अपने अवमानना प्रार्थना पत्र के पैरा बिन्दु सं0 3 में किसी अन्य व्यक्तियों के बारे में लिख्कर आ रहा है।

अप्रार्थी सं0 2 की ओर से हस्तगत अवमानना याचिका का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि उत्तरदाता द्वारा कोई तोडफोड नहीं की गई, ना ही धमकी दी गई है। उत्तरदाता द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना कारित करते हुए

अपीलीय अधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अपील / रेफरेंस / विविध प्रार्थना पत्र संख्या 19/2024 (CIS NO. 19/2024.....)

बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

वादग्रस्त संपत्ति में कोई रद्दोबदल नहीं किया है। बल्कि स्वयं प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता द्वारा मित्या व गलत आधारों पर श्रीमान के समक्ष अवमानना प्रार्थना पत्र उत्तरदाता पर अनुचित दबाव डालने की गरज मात्र से बिना कोई साक्ष्य व सबूत के प्रस्तुत किया गया है, जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी है।

अप्रार्थी सं0 3 व 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थी सं0 3 व 4 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि अवमानना का मामला नहीं है। अतः अवमानना याचिका खारिज किये जाने योग्य है। यह अधिकरण हस्तगत अवमानना याचिका का निस्तारण निम्नप्रकार किया जाना न्यायसंगत समझता है।

आदेश

अवमानना याचिका प्रस्तुतकर्ता गोपाल बंसल की ओर से प्रस्तुत हस्तगत अवमानना याचिका उपरोक्त वर्णितानुसार अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अवमानना प्रार्थना पत्र का उपरोक्तानुसार निस्तारण किया गया।

यह आदेश आज दिनांक **04.06.2026** को खुले न्यायाधिकरण में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया। इस निर्णय की प्रमाणित प्रति सचिव जविप्रा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।